बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक– 15/04/26

संचिका संख्या– 13/स्था0 05–23/2025 399 स्व0 उषा देवी, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में दिनांक–08.05.2025 को हो चुकी है, के आश्रित पुत्र श्री दिलीप कुमार, पिता– स्व0 प्रभात कुमार, मोहल्ला–विशुनपुर पकड़ी, 35 फीट रोड, थाना–बेउर, पोस्ट–विशुनपुर पकड़ी अनिसाबाद, जिला–पटना, पिन–800002 को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन एवं प्रमाण–पत्रों के समीक्षोपरांत अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक–18.03.2026 को सम्पन्न केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–22/अ0नि0 01–01/2025 सा0प्र0–5308 दिनांक–19.03.2026 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री दिलीप कुमार को अनुकम्पा के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर सप्तम् वेतन पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन स्तर–02 (अपुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200–ग्रेड पे–1900) में समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अस्थायी/औपबंधिक रूप से निम्नलिखित शर्त्तों के तहत नियुक्त किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0 स0	आश्रित आवेदक का नाम/संबंध	मृत सरकारी सेवक का नाम एवं पता	आश्रित आवेदक का जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	कोटि	आश्रित आवेदक का फोटो
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री दिलीप कुमार/पुत्र	स्व0 उषा देवी, पति–स्व0 प्रभात कुमार, स्थायी पता– ग्राम+पो0– छाता, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना। पत्राचार पता– मोहल्ला–विशुनपकड़ी, 35 फीट रोड, पो0–विशुनपकड़ी (अनिसाबाद) थाना–बेउर, जिला–पटना (बिहार–800002)	01.07.1993	स्नातक	अनुसूचित जाति (धोबी)	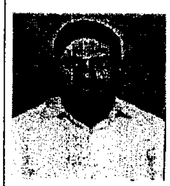

2. स्व0 उषा देवी के आश्रितों का भरण–पोषण का दायित्व श्री दिलीप कुमार पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी निष्ठा एवं तत्परता के साथ नहीं करना गंभीर कदाचार माना जायेगा, जिसके लिये उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा सकेगी।

3. यदि यह पाया जाता है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त श्री दिलीप कुमार अपने उत्तरादायित्व की अवहेलना करते है तो उनकी परिलब्धियों का एक अंश स्व0 उषा देवी के अन्य आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

4. श्री कुमार की नियुक्ति इस प्रत्याशा में की जा रही है कि स्व0 उषा देवी के आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने के सत्यता की जाँच करायी जायेगी एवं अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवश्यक अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा। साथ ही श्री दिलीप कुमार द्वारा समर्पित शपथ पत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में नियुक्ति की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

5. यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक है, जो आवेदक द्वारा प्राप्त कराये गये सत्यापित अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय अगर इनकी शादी नहीं हुई हो तो दहेज नहीं लेने देने तथा मद्यपान का सेवन नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र समर्पित करना होगा।

7. योगदान के समय अनियोजन संबंधी शपथ–पत्र के अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा।

8. योगदान करने के समय उन्हें असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु आने जाने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

10. नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर योगदान समर्पित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि एवं उपर्युक्त औपचारिकताओं का पालन करते हुये योगदान नहीं करने पर इनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

11. स्व0 उषा देवी के आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने के सत्यता की जाँच कराये जाने एवं अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवश्यक अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन किये जाने के उपरांत ही श्री दिलीप कुमार को योगदान की तिथि से वेतन एवं अन्य अनुमान्य भत्ता देय होगा।

12. वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 द्वारा लागू नई अंशदायी पेंशन योजना, 2005 से आच्छादित होंगे।

13. यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक रुप से की गई है। भविष्य में उक्त अभिलेखों के संबंध में गलत सूचनाएँ/प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में श्री दिलीप कुमार की सेवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा एवं इस संबंध में सम्यक् विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक–13/स्था0 05–23/2025 ..../ पटना, दिनांक................................./

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक–13/स्था0 05–23/2025 ..../ पटना, दिनांक................................./

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक–18.03.2026 को सम्पन्न केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–22/अ0नि0 01–01/2025 सा0प्र0–5308 दिनांक–19.03.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक–13/स्था0 05–23/2025 399/ पटना, दिनांक 15/04/26/

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/श्री बाल्मीकी कुमार, अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, अनुकंपा पोर्टल, शिक्षा विभाग/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जन शिक्षा/ श्री दिलीप कुमार, माता–स्व0 उषा देवी, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना, पत्राचार पता– मोहल्ला–विशुनपकड़ी, 35 फीट रोड, पो0–विशुनपकड़ी (अनिसाबाद) थाना–बेउर, जिला–पटना (बिहार–800002) एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay 15.4.2026
अपर सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

E/Ranikumari/letter/all Letter 2024 director-Anil sir new